सामाजिक मानसिकता एवं कन्या भ्रूण हत्या

प्रो० दिलीप कुमार ठाकुर

व्याख्याता, गृह विज्ञान विभाग, स०अ०ए० डिग्री कॉलेज, जमुई

सारांश :

किसी भी देश की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या लगभग आधी होती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरूषों पर 943 महिलाएँ हैं, जबकि बिहार में प्रति हजार पुरूषों पर 967 महिलाएँ हैं। कोई भी सरकार महिलाओं की समस्याओं को बहुत अधिक समय तक नजर अंदाज नहीं कर सकती है। भारत में स्वतंत्रता के पहले भी महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए थे। संगठित रूप से इस दिशा में स्वतंत्रता के बाद भी कार्य किया गया तथा इनके उत्थान के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्य सरकारी या ऐच्छिक आधार पर किया जाने लगा। किसी भी देश में महिलाओं की जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें सुलझाने के लिए उस देश के सरकार के द्वारा कुछ–न–कुछ कदम उठाया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावना :

भारत में महिलाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता की समस्याएँ, अन्य देशों के महिलाओं की समस्याओं से कहीं अधिक पायी जाती हैं। इसके मुख्य कारण हैं– महिलाओं में अशिक्षा का होना, उनका पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता, उनके प्रति समाज का अलग दृष्टिकोण तथा हमारी सामाजिक मान्यताएँ एवं परम्पराएँ आदि।

मानव जीवन के इतिहास एवं भारतीय संस्कृति में नारियों का सदैव सम्मानजनक स्थान रहा है। किन्तु समय के साथ–साथ नारियों की स्थिति में परिवर्तन होता रहा है। यह बात सच है कि अनुकूल अवसर एवं प्रोत्साहन प्राप्त होने पर उन्होंने अधिक उपलब्धियाँ अर्जित की तथा उचित अवसर नहीं मिलने पर उनकी प्रगति भी बाधित हुई। सबको जन्म देनेवाली माँ तथा जन्मभूमि का

स्थान स्वर्ग से बढ़कर होता है। हर नारी किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी होती है। भारतीय समाज में स्त्रियों को देवी का स्थान प्राप्त है। उनकी पूजा की जाती है। ठीक इसके विपरीत हम यह पाते हैं कि बालिकाएँ भ्रूण लिंग परीक्षण का शिकार बन रही हैं। बालिकाओं को लड़कों के समान अधिकार की बात में कितना छलावा छिपा हुआ है।(1) एग्नियासेन्टेसिस व अल्ट्रासाउण्ड जैसी तकनीकों ने जहाँ गर्भ के लिंग परीक्षण को संभव बनाया है वहीं ये तकनीकें कन्या भ्रूण के लिए अभिशाप बन गई। दरअसल इस तकनीकी का विकास पेट में पल रहे भ्रूणों का लिंग परीक्षण के लिये किया जाना था, परन्तु इसके उपयोग के फलस्वरूप मादा भ्रूण होने की स्थिति में गर्भपात कराने की घटनाएँ बड़े पैमाने पर होने लगी हैं।

संविधान में महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वह तय कर सके कि उनको कितने बच्चे चाहिए? कब चाहिए और कितने पुत्र–पुत्रियाँ चाहिये। जमीनी सच्चाई यह है कि महिलाओं को उनके अपने शरीर के नियंत्रण पर वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं है। शिशु कन्या वध की घटनाएँ आज कोई नहीं घटनाएँ नहीं हैं पहले भी होती रही हैं। अन्तर इतना ही है कि आज की चिकित्सीय तथा शल्य चिकित्सा की आधुनिक तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ नई प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं और एक नई संस्कृति का जन्म हुआ है। इस संस्कृति से बालिकाओं के जन्म लेने के अधिकार पर रोक लग रही है। चिकित्सा विज्ञान में आई नई प्रौद्योगिकी महिलाओं के लिए अभिशाप के रूप में सिद्ध हुई है। जन्म पूर्व ही गर्भस्थ शिशु का लिंग पता करके उससे छुटकारा पाने की काली करतूत पनपी है। पश्चिमी देशों में इन आधुनिक तकनीकों का विकास मानव समुदाय की बेहतरी के लिए हुआ था जिसके तहत माँ के गर्भ में पल रहे शिशु की असामान्य एवं असाधारण स्थितियों का पता चल सके। भारत में भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अब ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध करा दी है कि हानिरहित जाँच द्वारा अजन्मे शिशु के स्वास्थ्य या विकार का पता लगाया जा सकता है तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर भ्रूणावस्था में शिशु का उपचार किया जा सकता है। इस प्रकार भ्रूण परीक्षण वे परीक्षण हैं जिनके द्वारा गर्भस्थ शिशु के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त हो सके। परन्तु हमारे देश में आज इसका इस्तेमाल मुख्यतः बालिका भ्रूण के विरूद्ध किया जाता है। इससे देश में लिंगानुपात की समस्या हमारे सामने आ रहे है, जो हमारे समाज एवं देश के विकास के प्रगति पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है।(2)

कन्या भ्रूण हत्या या कन्या के जन्म लेते ही उसकी हत्या या कन्या पर समुचित ध्यान न देना जिससे स्वयं ही उसकी मृत्यु हो जाये, इसके पीछे एक बड़ा कारण दहेज है। वैदिक काल में कन्यादान के रूप में शुरू हुई सामाजिक परंपरा आज शादी की पूर्व शर्त बन चुका है। आज शादी एक उद्योग या व्यवसाय बन चुका है जिसमें बकायदा लेन–देन होता है। शायद इसीलिए कह भी दिया जाता है कि शादी एक समझौता है और जब शादी दो आत्माओं को स्वाभाविक मिलन न होकर मात्र समझौता रह जायेगा तो तकरार होना तो तय है, क्योंकि समझौते की अपनी शर्ते होती हैं और शर्तों का सदैव पालन हो यह नामुमकिन है। शादी, इस उद्योग में लगे व्यापारी आज समाज में तरह–तरह के शिगूफे छोड़कर इसको बकायदा भुना रहे हैं। वास्तव में यह व्यापारी चाहते हैं कि स्त्री–पुरुष में कभी भी समानता न आने पाये अन्यथा शादी का उद्योग चौपट हो सकता है। ये व्यापारी सदैव स्त्री को पुरुषों की तुलना में नीचा दिखाते हैं और दुःख की बात तो यह है कि ये व्यापारी समाज के प्रचार साधनों यथा–टेलीविजन, अखबार आदि पर बाकायदा कब्जा भी जमाये बैठे हैं जिसमें वैवाहिक विज्ञापनों में पुरुष को कार्य–कुशल, नौकरीशुदा और धनवान दिखाया जाता है और स्त्री के लिए सुंदरता, गृहकार्य दक्षता शादी के लिए अनिवार्य होता है। इस प्रचार का परिणाम यह होता है कि पुरुष नौकरी की तलाश करेगा और स्त्री सुंदर बनने की कोशिश करेंगी। फलतः पुरुष और स्त्री के बीच अंतर स्वाभाविक रूप से बना रहेगा। 'मिस वर्ल्ड' जैसे प्रयोजनों से स्त्री को 'सुंदर' बनने के लिए प्रेरित किया जायेगा और उसकी आड़ में अपने सौंदर्य उत्पादों की बाकायदा बिक्री के लिए एक बाजार का निर्माण किया जायेगा। शादी के लिए स्त्री को 'सुंदर' बनना होगा।(3) नौकरी तलाश करते वक्त जब पुरुष संघर्षों के कारण मजबूत हो जायेगा और जीवन–यापन के साधनों पर उसका अधिकार हो जायेगा तो स्त्री की तुलना में उसका पलड़ा भारी हो जायेगा और फिर स्त्री को अपने साथ रखने के लिए वह समान भार की मांग करेगा फलतः स्त्री को अपना पलड़ा समान करने के लिए अपने साथ फ्रिज, टी.वी., स्कूटर आदि लेकर बैठना पड़ेगा और इसकी पूर्ति फिर बाजार के वही व्यापारी करेंगे जो भेद पैदा करने पर तुले थे। शादी करना आज एक मंहगा सौदा हो गया है, फलतः मां–बाप कन्या जन्म से परहेज करते हैं और हमारे समाज के ईश्वर माने जाने वाले तथाकथित डॉक्टर मां–बाप के दुःख दर्द से आहत होकर मात्र डेढ़–दो हजार का चढ़ावा

लेकर उन्हें कन्या भ्रूण से निजात दिला देते हैं और समाज के लिए एक स्लोगन भी छोड़ देते हैं– ''वर्तमान में डेढ़ हजार खर्च करके भविष्य के डेढ़ लाख के खर्च से बचिये।''(4)

इस कन्या भ्रूण हत्या के फलस्वरूप जब लैंगिक–अनुपात गड़बड़ा जायेगा तो समाज में द्रोपदियों की संख्या बढ़ने के आसार अधिक हो जायेंगे और चूंकि इन कलयुगी द्रोपदियों के पति कलयुगी अर्जुन और भीम होंगे, फलतः वे इस कलयुगी द्रोपदी पर एकाधिकार करने के लिए–दूसरे की हत्या भी कर सकते हैं। जब महाभारत काल में युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी और धर्मप्रिय व्यक्ति ने द्रोपदी को जुए में दांव पर लगा दिया और द्रुपद नरेश की कन्या तथा श्रीकृष्ण जैसे भाई के रहते, धर्मप्रिय व्यक्तियों से भरी सभा में भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धाओं की पत्नी होते हुए भी द्रोपदी चीरहरण का प्रयास हुआ तो आधुनिक द्रोपदियों की क्या दशा होगी जिनके पिता न तो नरेश हैं और न ही जिनके श्रीकृष्ण जैसा भाई है? जाहिर है समस्या बड़ी विकट है। यही जरूरत है 'महिला सशक्तिकरण' से पूर्व महिला अस्तित्व रक्षा की।(5)

महिला भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति पंजाब व हरियाणा जैसे अपेक्षाकृत संपन्न राज्यों में ज्यादा है। हालांकि, देश में गर्भपात कानूनी रूप से वैध है लेकिन लिंग आधारित गर्भपात यहां एक अपराध है। इसके लिए 1994 में एक कानून भी पारित किया था और ऐसा करने वालों को कड़ी सजा देने का प्रावधान है। फिर भी स्थिति बदली नहीं है और अभी भी सभी स्तरों पर कन्या भ्रूण हत्या जारी है।(6)

यूनीसेफ के एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 50 लाख भ्रूण हत्याएँ होती हैं जिनमें अधिकतर मादा भ्रूण हत्या है। भारत के ही कुछ हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या नियमित रूप से हो रहा है। ऑनर किलिंग के नाम पर लड़कियों की जान ली जाती है। बेटे की चाह में बेटियों को कुर्बान किया जाता है। एसी मानसिकता को बदलना अनिवार्य है।

निष्कर्ष :

अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक कुरितियों एवं विकृत मानसिकता के कारण परिवार में लड़की के जन्म को रोकने हेतु भ्रूण हत्या की स्थिति उत्पन्न होती है। आठवें दशक में वैज्ञानिक

उपकरणों की सहायता से लिंग निर्धारण का ज्ञान होने से बालिका भ्रूण हत्या का अटूट क्रम जारी है। परिणामतः विद्यमान पुरूष–स्त्री अनुपात घटने लगा है। यह विकृत सोच अत्यन्त लज्जास्पद है। इतना ही नहीं गाँवों में बालिका की चिकित्सा पर कम व्यय किया जाता है। प्रायः गाँवो में तांत्रिक अनुष्ठानों पर विश्वास करके बालिका को मानसिक प्रताड़ना के फलस्वरूप मृत्यु का ग्रास बना देता है।

संदर्भ सूची :

1. एम0 गुप्ता एवं एस0 सी0 गुप्ता (2011) : 'भ्रूण हत्या और महिलाएँ', अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ०सं०– 28
2. आर0 कुमार (2004) : स्त्री संघर्ष का इतिहास (1988–1990), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ०सं०– 54
3. चतुर्वेदी, मल्लिका (1988) : भारत में सामाजिक स्तरीकरण एवं असमानता : सामाजिक विमर्श, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रकाशन, वाराणसी, पृ०सं०– 26
4. दुबे, श्यामाचरण (1955) : परम्परा और परिवर्तन, भारती ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृ०सं०– 103
5. नवीन पंत (2008) : 'भारत की लोकतांत्रिक यात्रा और चुनाव सुधार', कैपिटल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ०सं०– 47
6. आर.पी. जोशी एण्ड जी.एस. नरपाली (1997) : 'पंचायती राज इन इंडिया', इमरजिंग ट्रेंड एक्रॉस द स्टेट्स, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ०सं०– 72